

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-12/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सजीव कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा का दिनांक-17.07.2021, दिनांक-12.04.2022, दिनांक-24.05.2022 एव दिनांक-28.05.2022 तक के अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-09(25), दिनांक-02.01.2026 एव बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

(i)	दिनांक-17.07.2021 को	-	कुल-01(एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में ।
(ii)	दिनांक-12.04.2022 को	-	कुल-01(एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में ।
(iii)	दिनांक-24.05.2022 को	-	कुल-01(एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में ।
(iv)	दिनांक-28.05.2022 को	-	कुल-01(एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में ।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम अधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-12/2026-


701(2)

पटना, दिनांक 8/4/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा /अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा /कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा / डा० संजीव कुमार, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।